



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000 /- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 157/2017 धारा-363,366,376 भा0द0सं0 व 4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वीरपाल उर्फ वीरा पुत्र प्रेमचन्द्र उर्फ प्रेमा निवासी स्यावरी थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा-363,366, भा0द0सं0 एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
निरी0 घनश्याम
पाण्डेय



पैरोकार
थाना - राठ
का0 सर्वज्ञ सिंह